झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — **दशम् (शीतकालीन) सत्र**

संख्या-04 — **गुरूवार, दिनांक-22 दिसम्बर, 2022 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.25 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

i- आज दिनांक-22.12.2022 को विभिन्न अखबारों में महाधिवक्ता, झारखण्ड के विरूद्ध प्रकाशित समाचारों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने इस मामले की जाँच सी.बी.आई. से कराये जाने तथा उनकी बर्खास्तगी की माँग की,

ii-माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सिंह ने पलामू प्रमण्डल में हाथियों तथा तेंदुए के आतंक की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iii-माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले में लचर बिजली व्यवस्था की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iv-माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राजमहल प्रखण्ड के बाबूपुर गाँव में भोले-भाले पिछड़े वर्ग के लोगों का धर्मान्तरण कराये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-32

(क) उत्तरित कुल-05,	अ० सू०-119,	श्री रामदास सोरेन,	स०वि०स०,
	अ० सू०-120,	श्री दीपक बिरूवा,	स०वि०स०,

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि रिम्स की बदहाली को लेकर माननीय सदस्य, श्री समरी लाल सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं जिसपर आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश भाई पटेल एवं माननीय सदस्य, श्री निरल पुरती को निदेश दिया गया कि वे ससम्मान उन्हें सदन में ले आयें तदुपरांत माननीय सदस्यद्वय द्वारा उन्हें सम्मानपूर्वक सदन में लाया गया।)

	अ० सू०-121,	श्री दीपक बिरूवा,	स०वि०स०,
	अ० सू०-122,	डॉ० लम्बोदर महतो,	स०वि०स०,
	अ० सू०-123,	श्री भानू प्रताप शाही,	स०वि०स०।
(ख) स्थगित मात्र-01,	अ० सू०-124,	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	स०वि०स०।
(ग) अनागत कुल-26,	अ० सू०-125 से लेकर अ० सू०-150 तक।		

तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-23

(क) उत्तरित कुल-05,	तारां०-01,	डॉ० इरफान अंसारी,	स०वि०स०,

क्र०पृ०उ०

तारां०-03 सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०,
तारां०-04, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स०,
तारां०-05, श्री अमर कुमार बाउरी, स०वि०स०,
तारां०-06, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ मात्र-01, तारां०-02, डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-17, तारां०-07 से लेकर तारां०-23 तक।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री समरी लाल ने आसन की अनुमति से रिम्स की बदहाली पर विस्तार से बातें रखी और वहाँ सुधार की माँग की।

3.शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा आसन की अनुमति से पढ़ा गया-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री राज सिन्हा,
श्री मनीष जायसवाल,
श्री रणधीर कुमार सिंह,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री बिरंची नारायण,
श्री विनोद कुमार सिंह,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री नारायण दास,
श्री प्रदीप यादव,
श्री निरल पुरती,
श्री दशरथ गागराई,
श्री राजेश कच्छप,
श्री भूषण बाड़ा,
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,
डॉ० नीरा यादव,
श्री मंगल कालिन्दी,
श्री रामदास सोरेन,
श्री केदार हजरा,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
श्री अनन्त कुमार ओझा।

(इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री जिगा सुसारन होरो ने अपने क्षेत्र में बिजली कटौती में सुधार किये जाने हेतु आसन के माध्यम से अनुरोध किया।)

क्र०पृ०उ०

4.आसन से सूचना:-

सामान्य दर्शक दीर्घा में उपस्थित एम.जी.एम. स्कूल, बोकारो के छात्र-छात्राओं, प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद आसन द्वारा दिया गया।

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने दिनांक-21.12.2022 को राँची के कांटा टोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर में कार्यरत सिविल इंजीनियर, चूड़ामणि की मौत सरिया में दबने से हो जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए पाँच करोड़ रुपये का मुआवजा संवेदक से दिलवाये जाने तथा इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने की माँग की।

माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा पलामू टाईगर रिजर्व में तेंदुए के आतंक की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसे आदमखोर घोषित करने की माँग की गयी।

5.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i-माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii-माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii-माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम, संसदीय कार्य विभाग द्वारा "झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची" द्वारा उपलब्ध कराये गये वार्षिक प्रतिवेदन-2021-22 को मानव संरक्षण अधिनियम-1993 की धारा-20(2) की एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी।

7.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री विनोद कुमार सिंह, प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा द्वितीय प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

8.निवेदन:-

दिनांक-19.12.2022 से लेकर दिनांक-21.12.2022 तक प्राप्त कुल-27 निवेदनों को लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने का निदेश आसन से दिया गया।

(अन्तराल)

9.विधायी कार्य:-

(क)झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन), विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन), विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री विनोद कुमार सिंह एवं डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ख)झारखण्ड आकस्मिकता निधि (झारखण्ड संशोधन), विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री बादल द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड आकस्मिता निधि (झारखण्ड संशोधन), विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ग) सोना देवी विश्वविद्यालय, विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-04, खण्ड-05, खण्ड-06 से खण्ड-45 तक, खण्ड-46, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**सोना देवी विश्वविद्यालय, विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल, श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल, श्री विनोद कुमार सिंह एवं डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुआ।

(घ) बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय, विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-46 तक, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

क्र०पृ०उ०

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय, विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री अमित कुमार मण्डल, श्री अनन्त कुमार ओझा एवं माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(च) जैन विश्वविद्यालय विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तदुपरांत माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ० लम्बोदर महतो, श्री अमित कुमार मण्डल एवं माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के आलोक में माननीय मंत्री द्वारा उक्त विधेयक को वापस ले लिया गया।

इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन ने आसन से अनुरोध किया कि विधान सभा की एक समिति बना दी जाय जो अब तक सदन में पारित विधेयकों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन दे सके।

(छ) झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन), विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री सत्यानन्द भोगता द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन), विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री केदार हजरा, श्री बिरंची नारायण एवं श्री मनीष जायसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही शुक्रवार, **दिनांक-23.12.2022 के 11.00** बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 22 दिसम्बर, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।